

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/अवकाश/2018/00939

जयपुर, दिनांक

24 JAN 2019

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम  
जिला चित्तौड़गढ़।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को Child Care Leave के संबंधमें मार्गदर्शन हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 596 दिनांक 19.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों का संविदा अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार है। उक्त परिपत्र में महिला संविदा कर्मियों को चाईल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करने का श्रम करे।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह कैन)

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त राजस्थान (अलावा चित्तौड़गढ़)।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

04/01/19

परियोजना अधिकारी, ईजीएस